तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नोरतमल बाबेल निवासी–मरूधर मार्केट मेवाड़ी गेट के अन्दर, महावीर बाजार, ब्यावर, जिला–अजमेर (राज.) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :– 54/2022 जीसीएमएस नं. :– 2022/140 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	

01/4/22

1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 15.01.2022 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./42/2022/495 दिनांक 25.03.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि उनके कार्यालय के जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./42/2022/242 दिनांक 11.02.2022 के अपीलार्थी को वांछित सूचना भू.अ. शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली से संबंधित होने से भू.अ. शाखा द्वारा प्रेषित पत्रांक/भू.अ./सु.अ./2022/720 दिनांक 10.02.2022 की प्रति प्रेषित कर नियमानुसार आवेदन व शुल्क अदा कर सूचना प्राप्त करने के संदर्भ में अवगत करा दिया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है। तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 01/4/22 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(नमित मेहता)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली